257

365

M.13

नि/निग०/रीवा/2018/01774

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप रीवा (म0प्र0)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

1. रामदशरथ तनय हजारीप्रसाद निवासी ग्राम चौहना नंबर 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2. **चूड़ामणि तनय हजारी प्रसाद (अब मृत)**
3. रामेश्वर तनय हजारी प्रसाद
4. **चन्द्रवती वेवा द्वारिका प्रसाद**
5. **विजय कुमार तनय द्वारिका प्रसाद**
6. आनंद कुमार तनय द्वारिका प्रसाद
7. राजेश कुमार तनय द्वारिका प्रसाद
8. रामलोचन तनय हरिप्रसाद उपरोक्त सभी निवासी चौहना नंबर 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

अधि० श्री जयप्रकाश मिश्रा द्वारा पेश। 014-3-18

..........................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामजतन तनय जानकी प्रसाद
2. रामसहोदर तनय जानकी प्रसाद
3. राज कुमार तनय रामनरेश
4. **आनंद कुमार तनय रामनरेश (अब मृत)**
5. रामकैलाश तनय रामनरेश
6. सतानंद तनय रामनरेश
7. मु. बूटी वेवा लक्ष्मण प्रसाद
8. पुष्पराज तनय लक्ष्मण प्रसाद
9. दशरथ प्रसाद तनय लक्ष्मण प्रसाद
10. मु. रेशमी वेवा पत्नी रामनरेश उपरोक्त सभी निवासी चौहना नंबर 1 तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।

रामदशरथ

नि. चन्द्रवती

....प्रत्यर्थीगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के अपील प्रकरण कमांक 118ए-6/2016-17, 121 अ-6/ 2016-17 एवं 123 अ-6/ 2016-17 तीनो अपील प्रकरणो मे आदेश दिनांक 09/03/2018 के आदेशो को निरस्त किये जाने

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि उभयपक्षो के मध्य तहसीलदार हनुमना के पंजी कमांक 6 आदेश दिनांक 10/02/2016 को मौजा हर्दीआई पटवारी हल्का चौहना राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमना तहसील हनुमना जिला र ीवा म0प्र0 द्वारा उभयपक्षो के मध्य विधिवत आपसी सहमति के आधार पर कब्जा अनुसार सहखातेदार भूमिस्वामी होने के आाधार पर आपसी बटवारा नामांतरण स्वीकृत किया गया जिस आधार पर अभिलेख मे हिस्सा अनुसार भूमिस्वामी दर्ज हो गये जिसमे उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा लंबे अर्से पश्चात प्रथम अपील पेश की गयी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण लंबित है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष आराजी नंबर 13 रकवा 0.914 एवं आराजी नंबर 15 रकवा 0.591 हे0 आराजी नंबर 22/1 रकवा 0. 955 हे0, साथ ही प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष ,तृतीय एवं

रामदरश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 1774 जिला–रीवा

रामदशरथ वगैरः / रामरजत

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 118 / ए–6 / 2016–17, 121 / अ–6 / 2016–17 एवं 123 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	